कार्यालय जिला दंडाधिकारी जिला गुना मध्यप्रदेश

क्रमांक /एस.डब्लू/2018-19/60 गुना दिनांक 12/05/2018

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला गुना (म.प्र.) सत्यमेव जयते

(आदेश)

(दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन)

पुलिस अधीक्षक जिला गुना द्वारा अपने पत्र क्रमांक /514 दिनांक 11/05/2018 से अवगत कराया गया है कि विगत वर्षो में Facebook, Twitter, Whatsapp वाले संदेशो से धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले आपत्तिजनक फोटो एवं असामाजिक तत्वों द्वारा लेख किये जाने के फलस्वरूप जिले में गंभीर क़ानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हुई तथा दिनांक 11/05/2018 को गुना जिले के कस्बा कुम्भराज में दो पक्षों के मध्य गंभीर विवाद होने से धारा 144 लगाई गई थी | अत: गुना जिले में साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखने तथा असामाजिक एवं बाहरी तत्वों पर नियंत्रण रखने जनहित में जन सामान्य की सुरक्षा एवं सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा के उद्देश्य से क़ानून व्यवस्था एवं सुरक्षा बनाए रखने हेतु सम्पूर्ण गुना जिले में प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाना आवश्यक है | इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति को रोकने की दिशा में जिले में निम्न बिन्दुओं का पालन कराया जाना नितान्त आवश्यक है –

(1) Facebook, Twitter, W hatsapp यूजर द्वारा कोई ऐसा आपत्तिजनक पोस्ट जिससे धार्मिक भावना भड़के एवं किसी सम्प्रदाय विशेष की भावना उल्लेखित हो ऐसे पोस्ट को प्रसारित न करे |

(2) वाट्सएप ग्रुप एडमिन तथा ग्रुप से जुड़े यूजर धार्मिक भावना भड़काने वाले पोस्ट को प्रसारित न करें एवं ग्रुप के यूजर को ऐसा करने से रोंके ग्रुप एडमिन वाट्सएप फेसबुक एवं अन्य बनाये गये ग्रुप का मुखिया होता है यदि उसके ग्रुप के कोई सदस्य धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले अथवा सन्देश / फोटो / वीडियो डालता है तो ग्रुप एडमिन की जबाबदारी होगी |

(3) वाट्सएप / फेसबुक पर किसी भी धर्म सम्प्रदाय के सम्बन्ध में आपत्तिजनक टिपण्णी या चित्र कभी भी फारवर्ड न करे |

(4) सोशल मीडिया पर आये सन्देश कई बार षड्यंत्र के तहत भेजे जाते है, इन पर कोई भी प्रतिक्रया देने के पूर्व इनकी सत्यता की पुष्टि कर लेंवे |

अत: दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144(1 के अंतर्गत गुना जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में आप जनता के लिए पैरा 1 से लेकर 4 तक के प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रसारित किये जाने का लेख किया गया है |

2. भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है | किसी भी धार्मिक, मूलवंशीय, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषाई या प्रादेशिक समूहों या जातियों, समुदायों के बीच सौहार्द के बीच सत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने का कार्य दण्डनीय अपराध है | किसी भी धर्म या उससे जुडी धार्मिक भावनाओं को आहत करना असंवैधानिक है | पुलिस अधीक्षक जिला गुना के उक्त प्रतिवेदन से मुझे यह

12/5/18

समाधान हो गया है कि वास्तव में एसी स्थिति जिले में विघमान है | साम्प्रदायिक सदभाव एवं लोक प्रशांति की कायम रखने के लिए यह नितांत आवश्यक है कि ऐसे कृत्यों को स्थायी रूप से तत्काल प्रतिबंधित किया जाए, जिनसे लोक प्रशांति का ख़तरा हो |

अत: में विजय दत्ता, जिला दण्डाधिकारी जिला गुना दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गुना जिले की सम्पूर्ण सीमा में आम जनता के लिए दिनांक 12/05/2018 से दिनांक 27/06/2018 तक दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के प्रावधानों के अंतर्गत निम्न प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करता हूँ,

1) Facebook, Twitter, Whatsapp यूजर द्वारा कोई ऐसा आपत्तिजनक पोस्ट जिससे धार्मिक भावना भड़के एवं किसी सम्प्रदाय विशेष की भावना उद्ववेलित हो, ऐसे पोस्ट को प्रसारित नहीं करेगा एवं आपत्तिजनेक टीका-टिपण्णी की जाना वर्जित होगा |
2) वाट्सएप ग्रुप एडमिन तथा ग्रुप से जुड़े यूजर धार्मिक भावना भड़काने वाले पोस्ट को प्रसारित नहीं करेगा एवं ग्रुप के यूजर को ऐसा करने से रोकेगा | ग्रुप एडमिन Facebook, Twitter, Whatsappएवं अन्य बनाए गए ग्रुप का मुखिया होता है यदि उसके ग्रुप का कोई भी सदस्य धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला अथवा सन्देश / फोटो / वीडियो डालता है तो ग्रुप एडमिन की जबाबदारी होगी कि सम्बंधित सदस्य के विरुद्ध आपत्तिजनक पोस्ट के संदर्भ में निकटतम थाणे में सूचना दर्ज कराएगा | ग्रुप एडमिन द्वारा उक्त कार्यवाही नहीं करने की स्थिति में ग्रुप एडमिन भी घटना हेतु जिम्मेदार होगा |
3) Facebook, Twitter, Whatsapp पर किसी भी धर्म सम्प्रदाय के सम्बन्ध में आपत्तिजनक टिपण्णी या चित्र फारवर्ड नहीं किया जावेगा |
4) सोशल मीडिया पर आये सन्देश कई बार षडयंत्र के तहत भेजे जाते है | इन पर आपत्तिजनक प्रतिक्रया देना प्रतिबंधित किया जाता है |

3. यदि कोई भी व्यक्ति उपरोक्त आदेशो का उलंघन करता है तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दण्ड का भागीदार होगा |
4. यह आदेश सर्व साधारण को सम्बंधित है , वर्तमान परिस्थितियों में सूचना की तामिली सम्यक समय में करना एवं उनकी सुनबाई करना संभव नहीं है | अत: यह आदेश उक्त संहिता की धारा 144(2) के अंतर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है |
5. यँह भी आदेशित किया जाता है कि इस आदेश की सूचना सर्वसंबंधित जनता को पूरे क्षेत्र में ध्वनी विस्तारण यंत्रो द्वारा दी जावे एवं आदेश की एक – एक प्रति आम जनता की सूचना के लिए पुलिस थानों के नोटिस बोर्ड एवं अन्य सह दृष्टिगोचर सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा कराई जावे |

यह आदेश आज दिनांक 12/05/2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया, जो तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा |

(विजय दत्ता)
जिला दण्डाधिकारी
जिला गुना (म०प्र०)

जिला मजिस्ट्रेट
जिला गुना (म.प्र.)

प्रतिलिपि:-

प्रतिलिपि:-

1. सचिव मध्यप्रदेश शासन गृह मंत्रालय भोपाल
2. आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर
3. अरिरिक्त पुलिस महानिदेशक गुप्तवार्ता भोपाल
4. पुलिस महानिरीक्षक गुप्तवार्ता भोपाल
5. पुलिस महानिरीक्षक ग्वालियर
6. उप पुलिस महानिरीक्षक ग्वालियर
7. पुलिस अधीक्षक जिला गुना की ओर सूचनार्थ।
8. अपर जिला दण्डाधिकारी गुना की ओर सूचनार्थ।
9. अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुभाग चांचौडा की ओर सूचनार्थ।
10. अनुविभागीय दण्डाधिकारी(पुलिस) अनुभाग चांचौडा की ओर सूचनार्थ।
11. थाना प्रभारी थाना .... जिला गुना की ओर अपने प्रभार क्षेत्र में उक्त आदेश का कडाई से पालन कराये जाने हेतु प्रेषित।
12. प्रभारी अधीक्षक एन०आय०सी० गुना की ओर जिला प्रशासन साईट पर अपलोड हेतु।
13. अपर संचालक जन संपर्क गुना की ओर आदेश का प्रकाशन हेतु।
14. सम्बंधित ....की ओर सूचनार्थ / पालनार्थ।

12/3/16

(विजय दत्ता)
जिला दण्डाधिकारी
जिला गुना (म०प्र०)

जिला मजिस्ट्रेट
जिला गुना (म.प्र.)